

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 513/13

आय 1902/15
/आय (भा-निर्माण) 2000

दिनांक : 22-04-2015

श्री/श्रीमती/श्री

कृषि मंडल, मेरठ 511/13

श्री. जगदीश सिंह 510/13

14/14, 22/1/22 मंगला रोड,

मेरठ/



आपके पत्र दिनांक 19.02.15 मानचित्र सं 513/13 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित भवन निर्माण को मंडल/कालोनी/ग्राम मूल्यांकन/भवन सं 1902/15 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उक्त नगर नियोजन एम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल तीन वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी राजकीय विमान, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में तैयार जायेगा। विपरीत प्रयोग उक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 25 के अधीन दण्डनीय है।
4. उक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार कार्य मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सेट निर्माण कार्य पर रखना होगा ताकि नीचे पर कमी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आम भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र में विकट यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यायन (ऑक्यूपेंसी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यायित (ऑक्यूपेंसी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य सुभाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रती।
 प्राधिकरण - अथक अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रेषित।
 22/04/15
 513/13
 मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
 2015-16